

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 05 / 2023 राजस्व अपील

1. रमेश पुत्र सोनपाल जाति मीना निवासी ग्राम गांगदवाडी तहसील बहरावण्डा जिला दौसा

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 10.02.2023 तहसीलदार बहरावण्डा उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रमेश मुकदमा नम्बर 38 / 2023 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री गोविन्द शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :—

दिनांक: 22.04.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा ने अपीलान्त को साक्ष्य सबूत एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय दिनांक 10.02.2023 पारित कर अपीलान्त को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व विवादित आराजी से बेदखल कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 10.02.2023 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय जेर अपील पारित कर अपीलान्त को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व विवादित आराजी से बेदखल कर लगान दर्ज कर 50 गुणा जुर्माने की सजा आरोपित की है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय कानून नियम, उप नियम के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्त का किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्त को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया। अपीलान्त का पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी साबित नहीं है। अपीलान्त की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अपीलान्त ने ग्राम गांगदवाडी तहसील बहरावण्डा स्थित भूमि खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 24.44 है. पर से अतिक्रमण हटा लिया है एवं अपीलान्त का किसी भी चरागाह भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है एवं अपीलान्त भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा अपील अपीलान्त स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त ने ग्राम गांगदवाडी तहसील बहरावण्डा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 0.25 है. पर गेहूं की फसल काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलान्त को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा, पेनल्टी व बेदखली से दण्डित किया गया है। अपीलान्त द्वारा भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर अतिक्रमित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया जाना व्यक्त किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्त द्वारा ग्राम गांगदवाडी तहसील बहरावण्डा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1109/18 पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना तथा भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि गांगदवाडी तहसील बहरावण्डा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 0.25 है. पर से अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण हटा लिये जाने एवं किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना तथा भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.02.2023 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 10.02.2023 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।



सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांक 22.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से प्रमाणित किया गया।

(सुमित्रा पारीक)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा

दिनांक 22.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से प्रमाणित किया गया।



(सुमित्रा पारीक)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा